

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा बून्दी (186) विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र से राजस्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) की विधान सभा के लिए निर्वाचन।


निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,—

श्री अशोक डोगरा, म.न. 172 न्यू कालोनी, बून्दी (राज.) जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान:—बून्दी

तारीख:—11.12.2018



दिवांशु शर्मा

रिटर्निंग आफिसर, बून्दी (186)
(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बून्दी)
जिला बून्दी

FORM – 21C

(See rule 64)

(For use in Genral Election when seat is contested)

Declaration of the Legislative Assembly of **RAJASTHAN** (State). from the **BUNDI (186)** Assembly constituency.


In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that –

SHRI ASHOK DOGRA

H.N. 172 NEW COLONY BUNDI(RAJ.) sponsored by **BHARATIYA JANATA PARTY** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place – Bundi

Date-11/12/2018



(Divanshu Sharma)

Returning Officer Bundi(186)

SUB DIVISIONAL OFFICER AND

SUB DIVISIONAL MAGISTRATE, BUNDI

DISTT. BUNDI (RAJ.)